- नवीन कृषक उत्पादन संगठन (FPO) हेतु निर्धारित मापदंड की पालना अनुसार न्यूनतम 300 व अधिकतम 750 किसानों के कृषक उत्पादन संगठन (FPO) को मैचिंग इक्विटी ग्रांट के रूप में प्रति सदस्य अधिकतम 2000 रुपये अधिकतम 15 लाख रु. तक की सहायता निर्धारित।
- प्रत्येक कृषक उत्पादन संगठन (FPO) को कार्यालय प्रबन्धन हेतु 3 वर्ष तक 18 लाख रु. की सहायता।
- कृषक उत्पादन संगठन (FPO) बनाने हेतु CBBO को 5 वर्ष में 25 लाख रु. का प्रावधान।
- कृषक उत्पादन संगठन (FPO) को परियोजना ऋण पर 2 करोड तक की ऋण गारंटी सुविधा उपलब्ध।
- वर्ष 2025-26 के बजट में कृषक उत्पादन संगठन (FPO) के 100 सदस्य कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों तथा 5000 कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण/प्रशिक्षण की घोषणा।

अधिक जानकारी कृषि विपणन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाईट https://agriculture.rajasthan.gov.in से प्राप्त करें।

कृषि विभाग

- नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन मिशन के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों का वैल्यू चैन पार्टनर्स के सहयोग से क्रियान्वयन के अन्तर्गत कृषक उत्पादन संगठन (FPO) को प्राथमिकता।
- तिलहन मिशन के अन्तर्गत फसलोत्तर मूल्य श्रृंखला के तहत 10 टन क्षमता की तेल निष्कर्षण/प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अधिकतम 9.90 लाख रु. की सहायता मशीनरी एवं उपकरणों पर देय।

अधिक जानकारी कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाईट https://krishi.rajasthan.gov.in से प्राप्त करें।

NABARD

- F.P.O. हेतु भारत सरकार व नाबार्ड के समान योगदान से 1000 करोड़ के क्रेडिट गारंटी फण्ड का निर्माण।
- पशुपालन व डेयरी के लिए 750 करोड़ की क्रेडिट गारंटी निधि स्थापित , जिसमें FPO's को प्राथमिकता का प्रावधान।
- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए कृषि अवसंरचना कोष (AIF) योजना के अंतर्गत अधिकतम 2 करोड़ रुपये के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का प्रावधान।

विषय	FPOs के वित्त पोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना	पशुपालन और डेयरी के लिए क्रेडिट गारंटी योजना
क्रेडिट सीमा	अधिकतम 2 करोड़ रुपये (कार्यशील पूंजी/टर्म लोन)	MSME द्वारा परिभाषित सीमा के भीतर टर्म लोन, कार्यशील पूंजी
गारंटी कवरेज	स्वीकृत राशि का 85% तक, अधिकतम 1.5 करोड़	ऋण सुविधा का 25%
वार्षिक गारंटी शुल्क	स्वीकृत राशि का 0.75%	स्वीकृत राशि का 0.50%
पात्र ऋणदाता संस्थान	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, RRB,s सहकारी बैंक, NEDFi	अनुसूचित बैंक
पात्र उधार प्राप्तकर्ता	कृषि आधारित FPOs	FPOs, निजी कम्पनी, सेक्शन 8 कम्पनी, व्यक्तिगत उद्यमी, MSME

अधिक जानकारी नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाईट https://www.nabard.org से प्राप्त करें।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

परिवर्तित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुपालन गतिविधियों हेतु अनुदान प्राप्त करने हेतु चार प्रकार के उद्यम स्थापित किये जा सकते हैं - ग्रामीण मुर्गीपालन उद्यमिता कार्यक्रम, भेड व बकरी पालन उद्यमिता कार्यक्रम, शूकर पालन उद्यमिता कार्यक्रम, चारा विकास उद्यमिता कार्यक्रम (आवेदन कर्ता:- निजी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह, कृषि सहकारी संगठन, कृषक उत्पादक संगठन, संयुक्त देयता समूह, धारा 8 अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां (गैर लाभकारी)

उद्यम का विवरण

मुर्गीपालन

कम लागत प्रौद्योगिकी के कम से कम एक हजार पक्षियों के पेरेन्ट फार्म की स्थापना, चूजों के उत्पादन हेतु हैचरी एवं चूजों के पालन पाषण के लिए ब्रूडर मदर इकाई की स्थापना। (अनुदान अधिकतम 25.00 लाख)।

भेड़/बकरी पालन

मेंमना के उत्पादन के लिए 100 मादा और 5 नर भेड़/बकरी, 200 मादा और 10 नर भेड़/बकरी, 400 मादा और 20 नर भेड़/बकरी एवं 500 मादा और 25 नर भेड़/बकरी के प्रजनन फार्म की स्थापना। (अनुदान 10.00 से 50.00 लाख)।

शूकर पालन

शूकर उत्पादन के लिए 50 मादा एवं 5 नर शूकर एवं 100 मादा एवं 10 नर शूकर के प्रजनन फार्म की स्थापना।

चारा उद्यम

चारा एवं चारा उद्यमिता के तहत साइलेज, चारा ब्लॉक बनाने की इकाई ओर कुल मिश्रित राशन (टी.एम.आर.) के लिए संयंत्र की स्थापना।

उक्त योजना अश्व पालन, गधर्व पालन, ऊँट पालन पर भी नियमानुसार लागू है।

अधिक जानकारी पशुपालन विभाग की आधिकारिक वेबसाईट https://animalhusbandry.rajasthan.gov.in से प्राप्त करें।

कृषि विभाग राजस्थान DOA

कृषि एवं कृषि विपणन विभाग , राजस्थान

वेबसाइट : agriculture.rajasthan.gov.in

कृषि विपणन राजस्थान

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

राजश्री दिवस साप्ताहिक महोत्सव

श्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री

कृषक उत्पादक संगठन (FPO)

किसानों को वैल्यू चैन (मूल्य श्रृंखला) से जोड़ने का योजनाबद्ध माध्यम

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC)

- रिसोर्स संस्थानों (R.I.) / क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (CBBO) की सहायता से
  कृषक उत्पादक संगठनों का संघटन एवं निर्माण।
- कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण।
- व्यवसाय योजना पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (C.E.O.), निदेशक मण्डल (BOD) और सदस्य कृषकों का प्रशिक्षण, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत तैयारी और निष्पादन, प्रशासनिक अनुपालन और मौलिक लेखांकन आदि।
- कृषक उत्पादक संगठन में पंजीकरण के बाद 3 वर्ष तक सी.ई.ओ. कार्यालय प्रबंधन हेतु कृषक उत्पादन संगठन को सहायता।
- वर्तमान योजनाओं के सामंजस्य के तहत संरचनात्मक सहायता।

वित्तपोषण सहायता

इक्विटी अनुदान योजना

कृषक उत्पादन संगठनों को शेयर पूंजी दोगुना करने के लिए इक्विटी अनुदान।

क्रेडिट गारंटी फण्ड

कृषक उत्पादक संगठनों को कोलेटरल गारंटी के बिना ऋण सहायता प्रदान करने एवं वित्त संस्थानों को कवर प्रदान करने हेतु लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (FPO) में 100 करोड रु. का कॉर्पस फण्ड सृजित।

अधिक जानकारी लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC)की आधिकारिक वेबसाईट www.fsacindia.com से प्राप्त करें।

कृषक उत्पादक संगठन (FPO)

लघु और सीमांत कृषकों का उत्पादक संगठनों में सामूहिकीकरण, कृषि की अनेक चुनौतियों का सामना करने हेतु अतिप्रभावी उपाय है। कृषक उत्पादक संगठन के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता करने हेतु कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.) को सिंगल विंडो एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है। एफ पी ओ द्वारा निवेश, तकनीकी और बाजारों तक पहुंच में सुधार हुआ है।

कृषक उत्पादक संगठनों की प्रारूपिक संरचना

राज्य स्तर
नीतिगत समर्थन, विस्तृत बाजार का पता लगाना, रणनीति सहभागिता

कलस्टर स्तर
10 -12 गांव, ऋण, निवेश, तकनीकि, क्षमता निर्माण, बाजार सम्पर्क

ग्राम स्तर
फसल नियोजन, बीज उत्पादन, प्रदर्शन, ज्ञान, आदान-प्रदान, सामुहिकीकरण

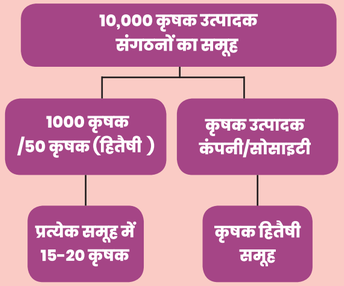

कृषक उत्पादन संगठन (FPO) को केन्द्र व राज्य योजनान्तर्गत देय विभागीय सुविधाऐं

कृषि विपणन विभाग

- कृषक उत्पादन संगठन (न्यूनतम 100 शेयर धारक) को 25000 रु. की बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा राशि के साथ मण्डी समिति में अनुज्ञापत्र का प्रावधान।
- अनुज्ञापत्रधारी पंजीकृत कृषक उत्पादन संगठन (FPO) को जैविक खेती करने पर मण्डी प्रांगण में द्वितीय एवं पश्चात्वर्ती चरणों में रिक्त दुकानों/भूखण्डों की संख्या 10 से अधिक होने पर नियमानुसार दुकान/भूखण्ड आवंटन का प्रावधान।

अधिक जानकारी कृषि विपणन विभाग की आधिकारिक वेबसाईट https://agriculture.rajasthan.gov.in से प्राप्त करें।

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड/RIPS/PMFME योजना

- RIPS के तहत एग्री व फूड प्रोसेसिंग में संलग्न उद्यमों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में इकाई द्वारा किये गये पूंजीगत निवेश के 50 प्रतिशत के बराबर (अधिकतम 1.5 करोड रु.) देय।
- इसी श्रेणी में ST/SC महिला स्वामित्व वाले कृषक उत्पादन संगठन (FPO) जो जनजातीय उप योजना के तहत चिन्हित क्षेत्रों में इकाइयॉं स्थापित करने पर RIPS के तहत 5 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी अनुदान देय।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के तहत एकल श्रेणी के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु कृषक उत्पादक संगठन (FPO) को 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रु. पूंजीगत अनुदान का प्रावधान।
- इसी योजना के अन्तर्गत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाई के साथ गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, लैब इत्यादि स्थापित करने हेतु 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम 3 करोड रु. तक अनुदान का प्रावधान।